आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के टिप्पणी तारीख के साथ
1/2/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्ति अपील सं0 56/2012** **पशुपतिनाथ तिवारी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1912 दिनांक 14/6/2012 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान की जाँच दिनांक 2/6/2012 को एक अनुमंडल स्तरीय जाँच दल द्वारा की गयी थी। जाँच में दुकान खुली पायी गई थी, किन्तु कई प्रकार की अनियमितताओं के आलोक में अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गयी और तत्पश्चात् प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सरसरी तौर पर बिना तथ्यों और वैधानिक प्रश्नों का परीक्षण किए पारित किया गया है और इसलिए इसका खंडन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकान खुली पाई गई थी और चंद उपभोक्ताओं के पूर्वाग्रह से प्रेरित बयान लेकर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त आदेश स्पष्ट और अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर है और इसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि या विसंगति नहीं है। दोनों पक्षों को सुना और मूल अभिलेख का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्त्ता के विरुद्ध पहला आरोप यह है कि बी0पी0एल0 बिक्री पंजी में दर्ज 92 के उपभोक्ता के विरुद्ध मार्च और अप्रैल में अलग-अलग कूपन कमांक अंकित किए गए हैं। इन आरोपों का खंडन करते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि यह त्रुटि मानवीय भूल है और कई बार उपभोक्ता के समक्ष कूपन संख्या दर्ज करते समय आगे-पीछे की प्रविष्टि अंकित हो जाती है। अपीलकर्त्ता के विरुद्ध दूसरा आरोप यह है कि एक ही व्यक्ति काशीनाथ राम को अन्त्योदय और बी0पी0एल0 दोनों वितरण पंजी में दर्ज किया गया है। इसका खंडन करते हुए अपीलकर्त्ता का पक्ष है कि	

वितरण पंजी उसे पणन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई है। जहाँ तक एक ही व्यक्ति के दोनों पंजियों में दर्ज होने की बात है, उसका कारण यह है कि प्रश्नगत व्यक्ति से संबंधित परिवार के अलग-अलग अंश दोनों योजनाओं में आच्छादित है और वह इस संबंध में उनके स्तर पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आपूर्त्ति देना और कैश मेमो नहीं देने के विरूद्ध चार उपभोक्ताओं के आरोप भी दर्ज किए गए हैं। अपीलकर्त्ता ने इन आरोपों का खंडन करते हुए विस्तृत भंडार पंजी और वितरण पंजी संलग्न किए हैं, जिनके अवलोकन से कम मात्रा की आपूर्त्ति और निर्धारित दर से अधिक की वसूली के प्रमाण नहीं पाए गए हैं। चार में से दो उपभोक्ताओं ने कैश मेमो नहीं देने के आरोप लगाए हैं, किन्तु इस आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध मात्र दो तरह की तकनीकी अनियमितताओं के आरोप हैं। पहली तकनीकी अनियमितता दो व्यक्ति के नाम एक ही कूपन कमांक दर्ज करने की और दूसरी तकनीकी अनियमितता एक ही व्यक्ति के नाम दो योजनाओं में रहने से संबंधित है। ये दोनों अनियमितताएँ भी एक-एक की संख्या में पाई गई है और इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। पहली अनियमितता के संबंध में स्पष्टीकरण स्वीकार्य प्रतीत होता है, जबकि दूसरी अनियमितता का संबंध प्रखंड आपूर्त्ति कार्यालय द्वारा दी गयी पंजी से है। यह सही है कि अनुज्ञप्तिधारी अपने स्तर पर किसी वितरण पंजी में छेड़-छाड़ करने में सक्षम् नहीं हैं और इसलिए यह आरोप उनके मत्थे नहीं डाला जा सकता है। फिर भी अनुज्ञप्तिधारी अपीलकर्त्ता को इस संबंध में स्पष्ट सूचना प्रखंड आपूर्त्ति कार्यालय को देनी चाहिए थी, जो संभवतः नहीं किया गया है। इतना स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश इन तथ्यों और साक्ष्यों का विवेचन बिल्कुल ही नहीं करता है और इसलिए मुझे इसे निरस्त करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अनुज्ञप्ति बहाल की जाती है और अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखनार्पित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______ विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को आपके पत्रांक 3477 दिनांक 18-10-2012 द्वारा अभिलेख संख्या 114/12 संचिका संख्या - 15-94/2 प्राप्त हुआ था को मूल में आदेश की प्रति के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक - अभिलेख संख्या - 114/2012
संचिका सं० 15-94/2 द्वारा
श्री पशुपति नाथ तिवारी

ह०/-
लोक अभियोजक,
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।